an>

Title:Need to bring a legislation to provide reservation in promotion for SC/ST.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्Âिात कर रहा हूं। ...(व्यवधान) सन् 1997 में पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे। ...(व्यवधान) उसके बाद वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बनें। ...(व्यवधान) फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिÂाद् मेरे नेतृत्व में बना। ...(व्यवधान) वाजपेयी जी के साथ तमाम बैठकें हुई, आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से वाजपेयी जी की सरकार ने बहुत महान काम किया और 85वां संवैधानिक संशोधन पास किया, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है। ...(व्यवधान) इसे कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी। ...(व्यवधान) वह मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। ...(व्यवधान) वÂाऩ 2006 में सुप्रीम कोर्ट में नागराज के नाम से एक केस लड़ा जाता है और पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार हमें मिलता है, अर्थात् 85वां संवैधानिक संशोधन बैलट किया जाता है। ...(व्यवधान) फिर 4 जनवरी, 2011 को लखनऊ हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को मना कर दिया। ...(व्यवधान) उसके बाद वह केस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। मैं आपका ध्यान आकर्Âिात करना चाहता हूं कि पदोन्नति में आरक्षण से विसंगतियां पैदा हुई हैं। ...(व्यवधान) वÂाऩ 2012 में यह बिल राज्य सभा में पास हो चुका है लेकिन लोक सभा में पास नहीं हो पाया।...(व्यवधान) मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इसी सत् में पदोन्नति में आरक्षण का बिल लाये और पास करे। ...(व्यवधान) यही मेरा सरकार से अनुरोध है। लखनऊ हाई कोर्ट की दो जजेज की बेंच थीं। ...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को मना किया, जबकि नागराज केस में पांच जजेज की बेंच थीं। ...(व्यवधान) उसके हिसाब से भी पदोन्नति में आरक्षण बरकरार रहना चाहिए। ...(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी और अधिकारी समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। ...(व्यवधान) उनका डिमोशन हो रहा है, इसे फौरन रोका जाना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण देने का बिल राज्यसभा में पास हो चुका है मैं सरकार से अर्ज करता हूं कि लोकसभा में इसी सत् में पास करके लाखों एससी, एसटी अधिकारियों और कर्मचारियों का रिवर्सल रोका जाए। इनका फरदर प्रमोशन ब्लॉक हुआ है, उसे भी दुरुस्त किया जाए। ...(व्यवधान) हरियाणा सरकार ने हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ किया है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह रास्ता साफ किया है, हालांकि दुर्भाग्यवश कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए हैं। बिहार, राजस्थान राज्य में कमेटी बनाकर पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है।...(व्यवधान) मेरा कहना है कि इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER:

Dr. Kirit P. Solanki,

Shri Virender Kashyap,

Shri P.P. Chaudhary,

Dr. Yashwant Singh,

Shri Vinod Kumar Sonkar,

Shrimati Priyanka Singh Rawat,

Sadhvi Savitri Bai Phule and

Shrimati Anju Bala are permitted to associate with the issue raised by Dr. Udit Raj.

...(*Interruptions*)